

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठारीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर०ए०एस०)

राजस्व वाद संख्या- 013/2019

- 1- गणेशराम
- 2- बिरमाराम
- 3- हरिराम पुत्रगण झलूराम
- 4- रामदीन
- 5- छोटूराम
- 6- नानूराम पुत्रगण रामनिवास
- 7- सोहनी पत्नी रामनिवास जातियान जाट निवासीगण मुन्दियाऊ तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

वादीगण

- 1- सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

प्रतिवादीगण



वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण:-

- 1 श्री जीयाराम वादीगण की और से।

-: निर्णय :-

दिनांक : 28.08.19

वाद वादीगण का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण के बंडेर की पुस्तनी भूमि भूमि मौजा सुरपालिया के खेत खसरा नम्बर 322 रकबा 19 बीघा 09 बिस्वा, खेत ख नं. 324 रकबा 10 बीघा, खेत खसरा नं. 337 रकबा 46 बीघा 01 बिस्वा व मौजा मुन्दियाऊ के खेत खसरा नं 03 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा, खेत खसरा 43 रकबा 23 बीघा 023 बिस्वा एव खेत खसरा नं. 69/209 रकबा 10 बिस्वा रहते कते आये है। वादीगण आपसी सहमति व जुवानी बंटवाडा सम्बत 2065 की आखातीज को कर लिया है। बंटवाडा स्वीम निम्न प्रकार है:-

- 1 वादी संख्या 01 रामनिवास के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में मौजा मुन्दियाऊ के खेत खसरा नम्बर 03 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा में से 07 बीघा पूर्वी हिस्सा, खेत खसरा नं. 43 रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा में से 10 बीघा 12 बिस्वा पूर्वी हिस्सा व मौजा सुरपालिया के खेत खसरा नं 337 रकबा 46 बीघा 01 बिस्वा में से 14 बीघा 04 बिस्वा पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 02 बिरमाराम के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में मौजा सुरपालिया के खेत खसरा नम्बर 337 रकबा 46 बीघा 01 बिस्वा में से 31 बीघा 17 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है।
3. वादी सं 03 हरिराम के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में मौजा मुन्दियाऊ के खेत खसरा नं. 03 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा में से 03 बीघा 03 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शा अनुसार, खेत खसरा नं. 43 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा में से 12 बीघा 10 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा व मौजा सुरपालिया के खेत खसरा नं. 322 रकबा 19 बीघा 09 बिस्वा में से 13 बीघा 03 बिस्वा पूर्वी हिस्सा, खेत खसरा नं. 324 रकबा 10 बीघा में से 03 बीघा पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है।
4. वादी सं. 04 से 07 रामदीन, छोटूराम, नानूराम, सोहनी के शामिलती हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में मौजा सुरपालिया के खेत खसरा नं. 322 रकबा 19 बीघा 09 बिस्वा में से 06 बीघा 06 बिस्वा

महायुक्त कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

पश्चिमी हिस्सा, खेत खसरा नं. 324 रकबा 10 बीघा में से 07 बीघा पश्चिमी हिस्सा व मौजा मुन्दियाऊ के खेत खसरा नं. 69/209 रकबा 10 बिरवा पूरा नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है।

अतः दावा पेश कर इस्तादुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 02 के उप पैरा क,ख,ग व घ के अनुसार डिक्री सादिर फरामाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 बावजूद नोटिस गैरहाजिर रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

वादीगण के बीच सहमति होने के कारण वाद में विवादक बिन्दु तय नहीं किये। प्रकरण में विद्ववान अधिवक्तओ वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अपलोवन किया गया। विद्ववान अधिवक्ताओं की बहस पर गनन किया गया। सभी पक्षकारों में सहमति होने के कारण सहमति के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :-

1. वादी संख्या 01 रामनिवास के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में मौजा मुन्दियाऊ के खेत खसरा नम्बर 03 रकबा 10 बीघा 03 बिरवा में से 07 बीघा पूर्वी हिस्सा, खेत खसरा नं 43 रकबा 23 बीघा 02 बिरवा में से 10 बीघा 12 बिरवा पूर्वी हिस्सा व मौजा सुरपालिया के खेत खसरा नं 337 रकबा 46 बीघा 01 बिरवा में से 14 बीघा 04 बिरवा पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 02 बिरमाराम के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में मौजा सुरपालिया के खेत खसरा नम्बर 337 रकबा 46 बीघा 01 बिरवा में से 31 बीघा 17 बिरवा पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है।
3. वादी सं. 03 हरिराम के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में मौजा मुन्दियाऊ के खेत खसरा नं. 03 रकबा 10 बीघा 03 बिरवा में से 03 बीघा 03 बिरवा पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शा अनुसार, खेत खसरा नं. 43 रकबा 23 बीघा 12 बिरवा में से 12 बीघा 10 बिरवा पश्चिमी हिस्सा व मौजा सुरपालिया के खेत खसरा नं. 322 रकबा 19 बीघा 09 बिरवा में से 13 बीघा 03 बिरवा पूर्वी हिस्सा, खेत खसरा नं. 324 रकबा 10 बीघा में से 03 बीघा पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है।
4. वादी सं 04 से 07 रामदीन, छोदूराम, नानूराम, सोहनी के शामिलाली हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में मौजा सुरपालिया के खेत खसरा नं. 322 रकबा 19 बीघा 09 बिरवा में से 06 बीघा 06 बिरवा पश्चिमी हिस्सा, खेत खसरा नं. 324 रकबा 10 बीघा में से 07 बीघा पश्चिमी हिस्सा व मौजा मुन्दियाऊ के खेत खसरा नं. 69/209 रकबा 10 बिरवा पूरा नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है।

—: आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।



(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक क्लर्क (पुस्तक ओ.)
जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 28.08.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक क्लर्क (पुस्तक ओ.)
जायल, जिला नागौर